

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.), मुकाम-सिरोही(राज.)

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

ललीत कुमार ओझा पुत्र श्री मदनलाल

अरविंदकुमार पुत्र श्री भबूताराम ओझा

किस्म मुकदमा,

राजस्व वाद अधारा 88, 188 आर.टी.एक्ट

रा.प्रा.पत्र सं. 19/2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
26-8-25	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्षकारान उपस्थित है। हमने वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनकर उस पर मनन किया। विचाराधीन वाद की सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावजी साक्ष्य राजस्व रेकर्ड ईत्यादि का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया। सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन व बहस पर मनन से यह पाया कि वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। उक्त आराजी भबूतराम पुत्र भवानीशंकर उनकी पत्नि, पुत्रगण व पुत्रीयों के नाम नामान्तकरण इन्द्राज किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रेकर्डेड खातेदार के इन्द्राज है तथा वादी ने अपना वादग्रस्त आराजी मे वाद पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खाता संख्या 641, 642 व 237 है उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य सह खातेदारों की भूमि है। वसीयत अनुसार भबूतरामजी ने कभी सन्तानों मे वादग्रस्त तमाम कृषि भूमि संपति जेवरात रूपयें का निस्तारण कर देने से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य रेकर्डेड खातेदार इन्द्राज है। वादी का वादग्रस्रुत आराजी मे किसी भी प्रकार से अकेले का खातेदारी अधिकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नही बनता है वादी ने उक्त वाद सोने चांदी के जेवरात व नकद रूपये मौखिक विभाजन मे देने के तथ्यों को आधार बनाकर वाद प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध पेश किया गया है। जबकि वादग्रस्त आराजी मे रेकर्डेड खातेदार अन्य पक्षकार भी है जो वाद मे पक्षकार नही बनाये तथा खातेदारी की घोषणा का वाद मात्र प्रतिवादी संख्या एक के विरुद्ध पेश किया है। वहीं प्रतिवादी संख्या एक ने वादी व अन्य पक्षकारान के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी के विभाजन का वाद पेश किया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिससे उक्त वाद को चलाने</p>	




(Handwritten signature)

से वाद की प्रकृति भी परिवर्तित होगी तथा रेकर्डेड खातेदार पक्षकारान को विभाजन कराने मे भारी कठिनाईयों उत्पन्न होगी। वादी की ओर से वाद मे वर्णित तथ्यों के प्रमाणिकरण के संबंध मे कोई दस्तावेजी रेकर्ड/साक्ष्य पत्रावली पर नही है तथा ना ही उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब दिया है। तथा न ही प्रमाणिकरण का वाद मे स्पष्ट अंकन है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2017(2) Page 1100 Bhakar Ram V/s Suja Ram & Ors व 1981 RRD 667 Rajsthan Revenue Board Abdul Wahid V/s Mangu** पेश किए।

हमने उभयपक्ष की बहस पर चिंतन मनन किया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने अपना वाद प्रतिवादी को उक्त आराजी के प्रतिकर के रूप में जेवरात एवं नकद भुगतान के रूप में करने के आधार पर पेश किया है। जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने ऐसे किसी भी मौखिक प्रतिकर के आधार पर पेश दावे को बिना किसी हेतुक प्रकट किए पेश किए जाने से वाद खारिज करने हेतु प्रार्थना-पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश किया। उभय पक्ष द्वारा पेश प्रार्थना-पत्र प्रत्युत्तर एवं बहस में प्रकट किए गए तथ्यों के आधार पर एक निर्विवाद तथ्य है कि वादी ने प्रतिकर देने एवं कब्जे काशत के आधार पर वाद पेश किया है। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2017(2) Page 1100 Bhakar Ram V/s Suja Ram & Ors** पेश किया है जिसमें उल्लेखित है कि Unregistered विक्रय एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर पेश वाद विधि द्वारा वर्जित एवं पोषणीय नही है एवं वाद खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण की स्थिति उक्त न्यायिक दृष्टांत से भी बदतर है क्योंकि यहां Unregistered विक्रय पत्र भी न होकर केवल मात्र जेवरात व नकद राशि देने के आधार पर पेश किया है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा पेश अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अप्रत्यक्ष रूप से लागू होता है एवं प्रतिकूल कब्जे का न्यायिक दृष्टांत पूर्णतया लागू होता है।

इस प्रकार समग्र विवेचन, विश्लेषण से सुपष्ट है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक का यह प्रार्थना पत्र अ.धा. 07 नियम 11 सीपीसी का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा विचाराधीन यह वाद अ.धा. 88,188 आर.टी.एक्ट का विधि मे परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।




सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सहायक कलेक्टर
सिवाही
धरौही (राज.)